20/8/22 वादी प्रार्थी अनिरुद्ध वादी मामले
लीला विना आ चुका है अतः
TI प्रार्थना पत्र की स्वीकृत
औचित्य नहीं। विपक्षी प्रार्थी
की प्रार्थना खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल करके
नथी नम्बर की जाकर आगामी
मुकर्रर की जाय।

Sd/-